न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/212/2019

उनवान

1. बालूराम आत्मज रामप्रताप ब्राह्मण निवासी मेघरास तहसील सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती कंकु पत्नि नानुराम ब्राह्मण निवासी 11/641 सुखवाल भवन, पुर रोड, आजादनगर, जिला भीलवाडा
2. श्रीमती भगवानस्वरूप पुत्र नानुराम ब्राह्मण निवासी 11/641 सुखवाल भवन, पुर रोड, आजादनगर, जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 107/2002 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.8.2019

अधिवक्तागण :–

1.श्री विवेकानन्द शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2.श्री दिनेश सिसोदिया ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1, 2
3.श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.1.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पिता–पति/के पॉवर अॅटार्नी होल्डर भगवानस्वरूप ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भूणास की

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जमाबंदी संवत 2042–2047 के खाता संख्या 108 में उसके नाम पर आराजी नम्बर 2485/2 रकबा 6 बीघा एवं आराजी नम्बर 2485/2 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। जिन्हें नक्शा ट्रेस में 2485/ 2 च, एवं 2485/2छ दर्शा रखा है। समस्त भूमि का एक ही चक में होकर चारों तरफ पुराने थोहर की बाड लगा रखी है। उक्त आराजियात के उत्तर दिशा की तरफ प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2की आराजियात सटी हुई है। जिसे नक्शा ट्रेस में में आराजी नम्बर 2485/2मी एवं 2485/2ग के रूप में दर्शाया गया है। नवीन भू प्रबन्ध के दौरान वादी की उक्त आराजियात के नवीन आराजी नम्बर 1665/3201 रकबा 0.11 है0, आराजी नम्बर 1677 रकबा 0.52 है0, आराजी नम्बर 1678 रकबा 0.40 है0, आराजी नम्बर 1679 रकबा 0.78 है, आराजी नम्बर 1680 रकबा 1.10. है0, आराजी नम्बर 1681 रकबा 0.50 है0, आराजी नम्बर 1682 रकबा 0.07 है0, आराजी नम्बर 1684 रकबा 0.10 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 3.58 है0 जमाबंदी संवत 2055–2058 के खाता संख्या 121 में दर्ज किया गया है।

2. नवीन भू प्रबन्ध के दौरान जरीब के परिवर्तन के कारण पुराने रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा का नये नाप के अनुसार 4.21 है0 बनता है परन्तु भू प्रबन्ध के दौरान विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वादी के वास्तविक रकबा को त्रुटिपूर्ण तरीके से कम करते हुए मात्र 3.58है0 ही कायम किया है। इस प्रकार वादी के नाम पुराने रेकार्ड के मुकाबले 0.63 है0, भूमि कम दर्ज की गई है। जिसमें से 0.07 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी संख्या 1683 में मिला दी गई है तथा 0.46 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 की आराजी नम्बर 1684/3197 एवं 1677/3198 में क्रमशः 0.20 है0 एवं 0.26 है0 गलत ढंग से बढा दी गई है। जो

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

वादीगण की होकर वर्तमान में भी वादीगण के कब्जे में ही चली आ रही है। शेष 0.10 है0 भूमि किसके नाम पर दर्ज हुई है उसकी कोई जानकारी वादी को नहीं हो पाई है। वादी के दोहिते भगवानस्वरूप ने दिनांक 19.6.2002 को बताया कि खेत के पडौसी प्रतिवादी संख्या 1 ने उसे कहा कि वादी के कब्जेसुदा आराजी नम्बर 1683 मेरे नाम दर्ज है, इस पर मैं कब्जा करूंगा । इस पर वादी ने राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त की तथा मौके पर गया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के कब्जे की आराजी संख्या1683 के उत्तरी दिशा के थोहरों की बाड काट कर दिवार का निर्माण प्रारंभ कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने भी वादी के कब्ज की भूमि में दखलन्दाजी करना आरंभ कर दिया । इस कारण वादी को उक्त कमी रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जेसुदा आराजी में दखलन्दाजी नहीं करें।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार व स्वामित्व की कृषि आराजी संख्या 3080 रकबा 1.08 है0 आराजी नम्बर 3081 रकबा 0.01 है0 एवं आराजी नम्बर 1683 रकबा 0.07 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.16

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

है0भूमि है जो सेटलमेण्ट से पूर्व की साबिक आराजी नम्बर 2485/ 2 मीन रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा से बने हैं जिसे अपीलाण्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.10. 1977 को तत्कालीन खातेदार बद्री लाल आत्मज श्रीकिशन ब्राह्मण निवासी भुणास से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा तत्सयम से ही उक्त क्रयसुदा साबिक आराजी नम्बर 2485/2 मीन एक ही चक थी जिसके चारों ओर वर्षो पूर्व से ही थोहरो की बाड बनी हुई थी जिसके बाबत वादी/रेस्पोडेण्ट चुन्नी लाल व उसकी ओर से 1977 से 2002 तक कभी कोई शिकायत या विवाद नहीं किया व न ही कब्जे को लेकर दोनों के मध्य मौके पर कोई विवाद हो कहीं प्रकट किया गया जो स्पष्ट करता है कि अपीलाण्ट अपनी क्रयसुदा उक्त आराजी पर क्रय दिनांक से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा था।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से इस आशय का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया कि बीघा एवं बिस्वा की हैक्टेयर परिवर्तित तालिका अनुसार वादी के पूर्व में दर्ज आराजियात 19 बीघा 10 बिस्वा का नये नाप अनुसार 4.21 है0 बनता है किन्तु सेटलमेण्ट के दौरान बन्दोबस्त विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों ने वादी के वास्तविक क्षेत्रफल को त्रुटिपूर्ण तरीके से कम करते हुए मात्र 3.58 है0 ही कायम किये गये है जो वादी के मुकाबले 0.63 है0 भूमि कम अंकित की गई है। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार की ओर से कोई जवाब या स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया कि क्या सेटलमेण्ट कार्यवाही के दौरान वास्तव में कोई त्रुटि हुई है या नहीं और हुई तो क्या हुई ?

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, शेलवाड़ा

खातेदारान के पूर्व साबिक आराजियात के रकबे अनुसार मौके पर कब्जा सुनिश्चित करते हुए उसके कुल रकबे अनुसार ही नये नम्बर जरिये मिलान क्षैत्रफल तय करते हुए राजस्व रेकार्ड में इन्द्राजात करते हैं तथा इसी अनुसान अपीलाण्ट के साबिक आराजी नम्बर 2485/2 मीन से नये नम्बर 3080, 3081 एवं 1683 परिवर्तित कर भू प्रबन्ध के पश्चात प्रथम राजस्व जमाबंदी संवत 2055 से 2058 जारी की गई है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया गया । जिसके पश्चात 15 वर्ष तक वादी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से भू प्रबन्ध कार्यवाही को कोई चुनौती नहीं दी गई एवं न ही उसके विरूद्ध कोई एतराज नहीं किया । इस प्रकार भू प्रबन्ध कार्यवाही के विरूद्ध मियाद बाहर काल्पनिक वाद हेतुक करते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया । ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में प्रदर्श 15 मौका निरीक्षण रिपोर्ट का आधार लेते हुए यह अंकित किया कि अपीलाण्ट प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी नम्बर 1683 को अपनी आराजियात में मिलाते हुए उस पर जिंस तिल की फसल काश्त करना व पत्थरों की कोट लगाया जाना दर्शित होता है । जबकि उक्त आराजी नम्बर 1683 सेटलमेण्ट के बाद पूर्व के साबिक आराजी नम्बर 2485/2 मीन से बनी है। जिस पर न केवल भू प्रबन्ध कार्यवाही से बल्कि अपीलाण्ट द्वारा वर्ष 1977 में क्रय करने की दिनांक से ही काबिज है और समस्त रकबा प्रारंभ से ही एक ही चक चला आ रहा है तथा यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपीलाण्ट ने वादी के हिस्से की आराजी को अपनी आराजियात में मिलाया होता तो निश्चित रूप से मौके पर

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पक्षकारान के मध्य लडाई झगडा होता या जबरन थोहर काटकर पत्थरों का कोट करने पर वादी द्वारा नजदीकी थाने पर आवश्यक चाराजोही की जाती। जबकि ऐसा कोई दस्तावेज , साक्ष्य वादी द्वारा पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलाण्ट ने जबरन वादी की भूमि को उसकी आराजियात में मिला दिया हो।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की ओर से उसके हितबद्ध गवाह सेवानिवृत घेवरचन्द द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट प्रदर्श 16 व 17 को साक्ष्य में नहीं पढे जाने बाबत अपीलाण्ट की घोर आपत्ति की जिसे नजरअंदाज करते हुए उसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जबकि पक्षकारान के मध्य रिकार्ड अनुसार मौके एवं कब्जे की वास्तविक स्थिति के बाबत वादी की ओर से कोई पत्थरगढी या सीमाज्ञान का आदेश सक्षम न्यायालय से प्राप्त किया गया हो जो यह प्रमाणित करे । अपीलाण्ट ने वादी की आराजियात को अपनी आराजियात में मिला दिया हो या उसके हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1/अपीलाण्ट काबिज हो, पत्रावली के रिकार्ड पर पेश नहीं हुआ। बावजूद इसके ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादी रेस्पोडेण्ट ने वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उसके हिस्से की आराजियात के कब्जे एवं मौके की वास्तविक स्थिति की जानकारी बाबत कोई पत्थरगढी या सीमाचिन्ह कराने बाबत कोई प्रार्थना पत्र किसी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है जिसके अभाव में यह दर्शित नहीं होता है कि वादी/रेस्पोडेण्ट की आराजी पर अपीलाण्ट ने कब्जा कर लिया हो। इससे स्पष्ट है कि वादी/रेस्पोडेण्ट ने दिनांक 16.6.2002 एवं 2.7.2002 की काल्पनिक घटना का

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

अंकन करते हुए मौके की गलत एवं मिथ्या वाद हेतुक उत्पन्न करते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया । जबकि थोहर काटने या दखलन्दाजी करने बाबत कोई चाराजोही या पुलिस रिपोर्ट पटवारी या सीमाज्ञान से जानकारी हुई हो ऐसा कोई आदेश या रिपोर्ट वाद पत्र के साथ पेश नहीं हुई है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सहाडा को कमिश्नर नियुक्त किया । जिनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें भी यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्व साबिक आराजी का भू प्रबन्ध के बाद तैयार मिलान क्षेत्रफल में रकबा कम अंकित किया गया अथवा गलत मिलान क्षेत्रफल तैयार किया गया या अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 का राजस्व रेकार्ड अनुसार रकबा मौके पर नहीं है अथवा वादी एवं प्रतिवादी कुल कितने रकबे पर काबिज है आदि के बाबत कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श 15 पूर्ण रूप से मौन है। ऐसे आधे अधूरे एवं मनमाने तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कमिश्नर मौका निरीक्षण रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की गई आपत्तियों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

12. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी की साबिक आराजी नम्बर 2485/2 मीन रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा से नवीन आराजी नम्बर 3080, 3081 एवं 1683 का रकबा 1.23 है0 बनना चाहिये था। जो नहीं बनाया जाकर 1.16 है0 ही कायम किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का रकबा वैसे भी 0.07 है0 कम दर्ज चला आ रहा है। ऐसी स्थिति मे यदि अपीलार्थी का हाल आराजी नम्बर 1683 रकबा 0.07 है0 कम कर दिया जाता है तो अपीलार्थी का रकबा 1.09 है0 ही रह जायेगा। अपीलार्थी के

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने यह पर्याप्त साक्ष्य दस्तावेज से साबित नहीं कराया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादी का रकबा अपीलार्थी/प्रतिवादी के रकबे में दर्ज किये जाने से अपीलार्थी/प्रतिवादी का रकबा कितना बढ गया है, जिसे कम किया जावे।

13. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजियात बाबत रकबे एवं मौके बाबत वास्तविक एवं तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के अभाव में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे एवं सक्षम अधिकारी को पुनः कमिश्नर नियुक्त करते हुए भू प्रबन्ध कार्यवाही के पश्चात हुए कब्जे एवं रिकार्ड में हुए तथ्यात्मक परिवर्तन के बाबत सही एवं आवश्यक दिशा निर्देशों के अनुसार मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाई जाकर उसके आधार पर पुनः दोनो पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया जावे। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2015 (2) पेज 1248, आर आर डी 1997 पेज 98, आर आर टी 2015 (2) पेज 1077, आर आर टी 2015 (1) पेज 360, आर आर टी 2019 (2) पेज 883, आर आर टी 2014–2015 (सुप्रिम कोर्ट) पेज 560 की ओर ध्यान आकर्षित किया ।

14. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि ग्राम भूणास की जमाबंदी संवत 2042–2047 के खाता संख्या 108 में उसके नाम पर आराजी नम्बर 2485/2 रकबा 6 बीघा एवं आराजी नम्बर 2485/2 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। जिन्हें नक्शा ट्रेस में 2485/ 2 च, एवं 2485/2छ दर्शा रखा है। उक्त भूमि का साबिक रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा था। जो भू प्रबन्ध के दौरान जरीब के

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

परिवर्तन के कारण उसका रकबा कुल 4.21 है0 बनना था। परन्तु हाल आराजी नम्बर 1665/3201 रकबा 0.11 है0, आराजी नम्बर 1677 रकबा 0.52 है0, आराजी नम्बर 1678 रकबा 0.40 है0, आराजी नम्बर 1679 रकबा 0.78 है0, आराजी नम्बर 1680 रकबा 1.10 है0, आराजी नम्बर 1681 रकबा 0.50 है0, आराजी नम्बर 1682 रकबा 0.07 है0 एवं आराजी नम्बर 1684 रकबा 0.10 है0 कुल रकबा 3.58 है0 रकबा ही दर्ज किया गया । जबकि हाल आराजी नम्बर 1683 रकबा 0.07 है0 जो कि अपीलार्थी/प्रतिवादी के नाम भू प्रबन्ध के दौरान गलत दर्ज कर दी गई जो कि प्रत्यर्थी/वादी के खातेदारी की साबिक आराजी से बना है। जिस पर अपीलार्थी/प्रतिवादी को किसी प्रकार का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है । समस्त भूमि का एक ही चक में होकर चारों तरफ पुराने थोहर की बाड लगा रखी है। उक्त आराजियात के उत्तर दिशा की तरफ अपीलार्थी /प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2की आराजियात सटी हुई है।

15. अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण वादग्रस्त हाल आराजी नम्बर 1683 रकबा 0.07 है0 का प्रत्यर्थी/वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया है। जो विधिसम्मत है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादी के नाम पुराने रेकार्ड के मुकाबले 0.63 है0, भूमि कम दर्ज की गई है। जिसमें से 0.07 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी की आराजी संख्या 1683 में मिला दी गई है तथा 0.46 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 की आराजी नम्बर 1684/3197 एवं 1677/3198 में क्रमशः 0.20 है0 एवं 0.26 है0 गलत ढंग से बढा दी गई है। जो वादीगण की होकर वर्तमान में भी वादीगण के कब्जे में ही चली आ रही है।

16. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

1/अपीलार्थी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । जिसके आधार पर तनकियात कायम की गई। प्रत्यर्थी संख्या 1व 2 द्वारा मौके की रिपोर्ट श्री घेवर लाल टुकलिया भू प्रबन्ध विभाग के सेवानिवृत निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई । जिसे अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं श्री घेवर लाल टुकलिया के बयान करवाये गये जिसमें श्री टुकलिया ने भू प्रबन्ध विभाग की त्रुटी को बिना संकोच स्वीकार किया है। सेवानिवृत निरीक्षक होकर एक्सपर्ट थे जिनकी ऑपीनियन प्रदान करने के लिए सक्षम है। की रिपोर्ट एवं गवाहान के बयान के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित किया है। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

17. प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि भू प्रबन्ध की गलती को कभी भी दुरूस्त किया जा सकता है एवं प्रकरण में तहसीलदार फोर्मल पक्षकार है । अतः तहसीलदार के जवाब की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार सहाडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। जिस पर उनके द्वारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 6.9.2002 तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

18. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादी का कथन है कि ग्राम भूणास की जमाबंदी संवत 2042–2047 के खाता संख्या 108 में उसके नाम पर आराजी नम्बर 2485/2 रकबा 6 बीघा एवं

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 2485/2 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। जिन्हें नक्शा ट्रेस में 2485/ 2 च, एवं 2485/2छ दर्शा रखा है। समस्त भूमि का एक ही चक में होकर चारों तरफ पुराने थोहर की बाड लगा रखी है। उक्त आराजियात के उत्तर दिशा की तरफ अपीलार्थी /प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 की आराजियात सटी हुई है।

19. नवीन भू प्रबन्ध के दौरान वादी की साबिक आराजी नम्बर 2485/ 2 च, एवं 2485/2छ के नवीन आराजी नम्बर 1665/3201 रकबा 0.11 है0, आराजी नम्बर 1677 रकबा 0.52 है0, आराजी नम्बर 1678 रकबा 0.40 है0, आराजी नम्बर 1679 रकबा 0.78 है, आराजी नम्बर 1680 रकबा 1.10. है0, आराजी नम्बर 1681 रकबा 0.50 है0, आराजी नम्बर 1682 रकबा 0.07 है0, आराजी नम्बर 1684 रकबा 0.10 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 3.58 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया है। जबकि जरीब के परिवर्तन के कारण पुराने रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा का नये नाप के अनुसार 4.21 है0 बनता है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 /वादी का 0.63 है0 रकबा कम दर्ज किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादी के नाम पुराने रेकार्ड के मुकाबले 0.63 है0, भूमि कम दर्ज की गई है। जिसमें से 0. 07 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी की आराजी संख्या 1683 में मिला दी गई है तथा 0.46 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 की आराजी नम्बर 1684/3197 एवं 1677/3198 में कमशः 0.20 है0 एवं 0.26 है0 गलत ढंग से बढा दी गई है। जो वादीगण की होकर वर्तमान में भी वादीगण के कब्जे में ही चली आ रही है।

20. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर जो तनकियात कायम की है वे निम्नानुसार है :–

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

1. क्या ग्राम भूणास की वर्तमान आराजी नम्बर 1683 क्षैत्रफल 0.07 है0 , आराजी नम्बर 1684 रकबा 0.020 है, एवं आराजी नम्बर 1677 रकबा 0.16 है0 वादी की पूर्व खातेदारी की आराजी संख्या 2485/2 च , 2488/2छ क्षेत्रफल 19 बीघा 10 बिस्वा का ही हिस्सा होने से वादी उक्त आराजियात का खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी है ?
2. क्या वादी अपनी उक्त आराजियात बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है ?
3. क्या वादी अपनी उक्त आराजियात पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लेने की स्थिति में पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है ?
4. क्या आराजी संख्या 1683 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 2485 का ही हिस्सा है जो प्रतिवादी संख्या 1 की है । इस कारण वादी उक्त आराजी का खातेदर कृषक होने का अधिकारी नहीं है ?
5. अनुतोष

21. अधीनस्थ न्यायालय में वाद के विचारण के दौरान ही दिनांक 9.2.2004 को चुन्नी लाल की मृत्यु हो जाने से उनके वसीयत उत्तराधिकारीगणों के आवेदन पत्र दिनांक 16.3.2014 के आधार पर उन्हे कायम मुकाम दर्ज किया गया । प्रत्यर्थी /वादी की ओर से साक्ष्य में प्रदर्श 1 स्पे0 पावर ऑफ एटोर्नी, प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी संवत 2042 से 2045 , प्रदर्श 3 नक्शा ट्रेश, प्रतिवादी बालु के खाते की नकल जमाबंदी प्रदर्श 4, प्रतिवादी संख्या 2 जयकंवर के खाते की नकल प्रदर्श 5, सेटलमेण्ट के पश्चात जारी नकल जमाबंदी संवत 2055 से 2058 , ग्राम भूणास के खता सख्या 121 प्रदर्श 6, प्रतिवादी संख्या 1 की सेटलमेण्ट बाद की नकल जमाबंदी प्रदर्श 7, प्रतिवादी संख्या 2 की सेटलमेण्ट बाद की नकल जमाबंदी प्रदर्श 8, भूमि का तुलनात्मक तैयार

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

खसरा पत्रक तीन पन्नो में प्रदर्श 11, असल वसीयतनामा प्रदर्श 12, श्री चुन्नी लाल जी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 13, वसीयती नामान्तरकरण से संबंधित नकल प्रदर्श 14, विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट प्रदर्श 15, रिटायर्ड निरीक्षक सेटलमेण्ट श्री घेवरचन्द टुकलिया की सर्वे रिपोर्ट प्रदर्श 16 एवं 17 को प्रदर्शित कराया गया ।

22. वादी की ओर से प्रस्तुत गवाहान पी डब्ल्यू 1 भगवान स्वरूप सुखवाल, पी डब्ल्यू 2 बंशी लाल , पी डब्ल्यू 3 मांगी लाल शर्मा, , पी डल्यू 4 माधु लाल ब्राह्मण, पी डब्ल्यू 5 घेवर चन्द्र टुकलिया के बयान पंजीबद्ध किये गये। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में स्वयं प्रतिवादी बालू लाल के बयान पंजीबद्ध किये गये एवं एक अन्य गवाह मुन्ना लाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया परन्तु जिरह हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनकी साक्ष्य को अपठनीय घोषित किया गया ।

23. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 एवं तनकी संख्या 4 का निस्तारण एक साथ किया गया । तनकी नम्बर 1 को साबित करने का भार वादी पर था एवं तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी ने तनकी नम्बर 1 को साबित करने के लिए गवाह पी डब्ल्यू 1 से 5 के बयान लेखबद्ध कराये एवं 17 दस्तावेजात का प्रदर्शित कराये गये। प्रदर्श 1 स्पे0 पावर ऑफ एटोर्नी के जरिये वादी श्री चुन्नी लाल ने अपनी वृद्धावस्था का हवाला देते हुए अपने विश्वासपात्र श्री भगवानस्वरूप को उक्त प्रकरण में पावर प्रदान किया है। प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी संवत 2042 से 2045 के खाता संख्या 108 में वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित अनुसार आराजी संख्या 2485/2च एवं 2485/2 कुल किता 2 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड होना प्रमाणित हुई है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3 में भी वाद पत्र की

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

चरण संख्या 1 में वर्णित अनुसार आराजी संख्या 2485/ 2 च एवं 2485/2 छ अलग–अलग दर्शायी गई है। प्रतिवादी संख्या 1 बालूलाल के खाते की नकल जमाबंदी संवत 2042 से 2045 खातासंख्या 259 में आराजी संख्या 2485/2मी रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा प्रदर्श 4 में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती जयकंवर के खाते की नकल जमाबंदी संवत 2042 से 2045 के खाता संख्या 127 एवं 393 में क्रमशः आराजी नम्बर 2485/2ग रकबा 33 बीघा 10 बिस्वा एवं आराजी संख्या 2485/2 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रदर्श 5 से स्पष्ट है। सेटलमेण्ट के पश्चात जारी नकल जमाबंदी संवत 2055 से 2058 ग्राम भूणास के खाता संख्या 121 प्रदर्श 6 है जिसमें वादी चुन्नी लाल के नाम पर कुल किता 8 रकबा 3.58 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 की सेटलमेण्ट बाद की जमाबंदी संवत 2055 से 2058 के खाता संख्या 326 में वादग्रस्त आराजी संख्या 1683 रकबा 0.07 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है जिस पर प्रदर्श 7 मार्क किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 की सेटलमेण्ट बाद की नकल जमाबंदी संवत 2055 से 2058 के खाता संख्या 142 में वादग्रस्त आराजी संख्या 1684/3197 रकबा 0.20 है0भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है जो प्रदर्श 8 है। वादग्रस्त आराजियात एवं विवादित भूमियों का तुलनात्मक क्षेत्रफल प्रदर्श 9 है जिसमें वादग्रस्त आराजियात एवं वर्तमान आराजी संख्या क्रमशः 1683 रकबा 0.07 है0, भूमि गत आराजी संख्या 2585/2 मी एवं आराजी संख्या 1684/3197 रकबा 0.20 है0 भूमि के गत आराजी संख्या 2485/2ग तथा वर्तमान आराजी संख्या 1677/3198 रकबा 0.26 है0 भूमि गत आराजी संख्या 2485/2ग से संभवतः प्रतीत होता है। नवीन नक्शा ट्रेस प्रदर्श 10 , भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार सुदा खसरा पत्रक प्रदर्श 11 में भी

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजी संख्या 1683 रकबा 0.07 है0 भूमि गत भू माप में वादी चुन्नी लाल पिता लेला ब्राह्मण के नाम पर दर्ज थी। जिसे बिना किसी सक्षम आदेश अथवा बिना किसी उचित कारण के चुन्नी लाल गत भू कृषक के नाम पर घेरा बनाते हुए प्रतिवादी के पिता कालू राम पित रामप्रताप ब्राह्मण के नाम पर दर्ज की गई है।

24. असल वसीयतनामा प्रदर्श 12 का प्रतिवादी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य से खण्डन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में वादी की मृत्यु के उपरान्त वादी की वादग्रस्त आराजियात वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोला गया है। यद्यपि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट 6.9.2002 प्रदर्श 15 में वादग्रस्त आराजी संख्या 1683 रकबा 0.07 है0 पर प्रतिवादी की अन्य आराजी संख्या 3080 में मिलाते हुए पत्थरों की कोट निर्मित करना प्रमाणित हुआ है। अन्य उपस्थित गवाहान ने भी प्रदर्श 15 मौका रिपोर्ट की ताईद की है। परन्तु भू प्रबन्ध विभाग के रिटायर्ड निरीक्षक श्री घेवरचन्द्र टुकलिया के बयान पी डब्ल्यू 5 के रूप में लेखबद्ध किये गये हैं जिसके द्वारा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को स्वीकार किया गया है एवं राजस्व ग्राम भूणास की साबिक आराजी संख्या 2485/2 च एवं 2485 मीन का मौके पर जाकर दिनांक 5.4.2013 को सर्वे किया जाना बताया है जो सर्वे रिपोर्ट प्रदर्श 16–17 है। वादी द्वारा जो अन्य गवाह पी डब्ल्यू 1 से 4 के बयान पंजीबद्ध कराये गये हैं उनके द्वारा भी वाद पत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन किया गया है।

25. दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी संख्या 1683 रकबा 0.07 है0 भूमि को अन्य भूमियों के साथ मिलाकर दीवार बनाने का तथ्य भी मौखिक साक्ष्य एवं दस्तोवजी साक्ष्य में आया है । वादी के खातेदारी हक की सेटलमेण्ट से पूर्व आराजियात का वर्तमान कुल रकबा 4.21 है0 बनता है जबकि वादी के नाम पर मात्र 3.58 है0 भूमि

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

ही दर्ज की गई है। इस प्रकार वादी अपने जिम्मे की तनकी संख्या 2 को साबित कराने में सफल रहा है।

26. इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपने कथनों की ताईद में किसी भी स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं कराये गये हैं न ही अपने कथनों की ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। प्रतिवादी पक्ष की ओर से बहस के दौरान व्यक्त किया गया कि कमिश्नर तहसीलदार की रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट पटवारी को पढा जावे परन्तु वे यह साबित करने में असफल रहे हैं कि उक्त रिपोर्ट का विधिक आधार क्या है। यद्यपि प्रतिवादी /अपीलार्थी ने अपने मूल रकबे में भी कमी का कथन किया है परन्तु इस तथ्य को साबित कराने में असफल रहे हैं। प्रतिवादी पक्ष ने अपनी बहस में वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पी डब्ल्यू 5 श्री घेवर लाल के बयानों मे सडक का क्षेत्रफल एवं जमीन के रकबे की जानकारी नहीं होना एवं उनके आधे अधूरे मापचोप को स्वीकार नहीं करने का अनुरोध किया था परन्तु उक्त गवाह ने अपने द्वारा किये गये समस्त नाप–चोप एवं मौका कार्यवाही को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया है। जिस पर अविश्वास का कोई कारण उपलब्ध नहीं है।

27. प्रतिवादी बालूराम ने स्वयं अपने बयानो में वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 1683 रकबा 0.07 हैक्टेसी भूमि पर पत्थर की दीवार बनाने से पूर्व पत्थरगढी नहीं कराने का कथन किया है । सीमाज्ञान के संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी/प्रतिवादी ने आराजी नम्बर 1683 रकबा 0.07 हैक्टेयर पर दीवार बनाने का कथन किया है । जिसे अपने बयान दिनांक 15.7.2013 में 10 वर्ष पूर्व बनाने का कथन किया है। इससे पहले थोहर की बाड थी। प्रतिवादी /अपीलार्थी ने अपने बयानों में यह भी स्वीकार किया

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

है कि पहले चुन्नी लाल जी ने जमीन क्रय की थी एवं उसके बाद अपीलार्थी/प्रतिवादी ने भूमि क्रय की थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपने जिम्मे की तनकी संख्या 4 को साबित करने में असफल रहे हैं।

28. **तनकी संख्या 2 क्या वादी अपनी उक्त आराजियात बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है ?** चूकि वादी तनकी नम्बर 1 को अपने पक्ष में साबित कराने में पूर्णतय सफल रहा है तथा तनकी नम्बर 4 प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 भी वादी के पक्ष मे निणित की गई है।

29. **तनकी संख्या 3 क्या वादी अपनी उक्त आराजियात पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लेने की स्थिति में पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है ?**

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था । चूंकि वादी तनकी संख्या 1 को अपने पक्ष मे साबित करने में सफल रहा है ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 3 भी वादी के पक्ष में निर्णित की गई है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने जो न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2015 (2) पेज 1248 के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से कमिश्नर रिपोर्ट तलब की गई । जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। उसीके आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर आर डी 1997 पेज 98 का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया । अपीलाधीन प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एवं न्यायालय हाजा में यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं कराया है कि उसका कमी रकबा कौनसी आराजी में भू प्रबन्ध के दौरान मिला दिया गया है। अतः अपीलाधीन प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2015 (2) पेज 1077 में प्रतिपादित सिद्धान्त का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया । अपीलाधीन प्रकरण में प्रत्यर्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में उसका साबिक रकबा कितना था एवं उसका भू प्रबन्ध के बाद क्या क्या नम्बर बने है। वह खसरा पत्रक एवं मिलान क्षेत्रफल तथा मौखिक साक्ष्य से भलीभॉति साबित कराया है। इसलिए उक्त न्यायिक उद्धरण अपीलाधीन प्रकरण पर चस्पा नही होते हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2015 (1) पेज 360 में प्रतिपादित सिद्धान्त का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार फोर्मल पक्षकार है । जिसकी स्वयं की मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2019 (2) पेज 883, आर आर टी 2014–2015 (सुप्रिम कोर्ट) पेज 560 में प्रतिपादित सिद्धान्त का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व प्रोपर विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। इसलिए उक्त न्यायिक उद्धरण में प्रतिपादित सिद्धान्त वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

30. अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, गवाहान के बयान, एवं श्री घेवर लाल टुकलिया रिटायर्ड निरीक्षक भू प्रबन्ध विभाग के बयान तथा दस्तोवजी साक्ष्य प्रदर्श 1 से 17 से यह साबित कराने में सफल रहा है कि वादग्रस्त आराजी संख्या 1683 रकबा 0.07 है0 भूमि भू प्रबन्ध से पूर्व वादी के हक अधिकार की साबिक आराजी नम्बर 2485/2 च, एवं 2485/2 छ से बने

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, शीलवाड़ा

हैं। इसके विपरीत अपीलार्थी का यह कथन है कि उसका रकबा साबिक आराजी नम्बर के मुकाबले कम बना है लेकिन वह अपने कथनो पर्याप्त साक्ष्य, दस्तावेज से साबित कराने में असफल रहा है। न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे अपीलार्थी के कथनों को बल मिलता हो। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

31. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.8.2019 को यथावत रखा जाता है। डिक्री पर्चा मूर्तिब की जावे।

32. निर्णय आज दिनांक 28.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र लखावत)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री कैलास चन्द्र लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/212/2019

उनवान

1. बालूराम आत्मज रामप्रताप ब्राह्मण निवासी मेघरास तहसील सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती कंकु पत्नि नानुराम ब्राह्मण निवासी 11/641 सुखवाल भवन, पुर रोड, आजादनगर, जिला भीलवाडा
2. श्रीमती भगवानस्वरूप पुत्र नानुराम ब्राह्मण निवासी 11/641 सुखवाल भवन, पुर रोड, आजादनगर, जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 107/2002 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.8.2019

अधिवक्तागण :–

1. श्री विवेकानन्द शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री दिनेश सिसोदिया ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1, 2
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/212/2019 मे **उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः–

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

यह अपील तारीख 28.1.2020 को अपीलाण्ट की ओर से श्री विवेकानन्द शर्मा वकील एवं प्रत्यर्थी गण की ओर से श्री दिनेश सिसोदिया एवं राजकीय अधिवक्ता की उपस्थिति मे दिनांक 28.1.2020 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.8.2019 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 28.1.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. षक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेषिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. षक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेषिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.01.28 15:53:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: